32

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 777 – एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2014 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, केवलारी जिला सिवनी – प्रकरण क्रमांक 15 अ–6/2011–12 अपील

1– शारदावाई पत्नि स्व.मुरारी गोंड
2– डववल पुत्र स्व. सुकाली गोड
3– बैजन्ती आत्मज स्व. सुकाली गोंड
4– जगोती आत्मज स्व. सुकाली गोंड
5– कौशल्या पत्नि रोशन गोंड
सभी निवासी ग्राम बोथिया
तहसील केवलारी जिला सिवनी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मेहतलाल आत्मज गुहा उर्फ कुंवर सिंह गोंड
2– बनवारी आत्मज गुहा उर्फ कुंवर सिंह गोंड
3– हेमता आत्मज गुहा उर्फ कुंवर सिंह गोंड
4– बेला पत्नि पुसू गोंड
5– बिन्ना पत्नि मोडी गोंड
6– शॉति आत्मज आत्मज गुहा उर्फ कुंवर सिंह गोंड
7– शॉता आत्मज गुहा उर्फ कुंवर सिंह गोंड
8– छोटी आत्मज गुहा उर्फ कुंवर सिंह गोंड
निवासीगण बोथिया तहसील केवलारी जिला सिवनी--अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री योगेन्द्र भदौरिया)

आ दे श

(आज दिनांक 2-1 -2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी केवलारी जिला सिवनी व्दारा प्रकरण क्रमांक 15 अ-6/2011-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी केवलारी के समक्ष ग्राम की सॅशोधित नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 46 पर आदेश दिनॉक 14-9-1975 से किये गये नामान्तरण को इस आधार पर अपील में चुनौती दी गई कि ग्राम बोथिया की कुल किता 5 कुल रकबा 4.54 हैक्टर भूमि सम्मिलित परिवार की होते हुये उन्हें सूचना दिये बिना नामांत्रित कर दी गई। अपील मेमो के साथ अनावेदकगण ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी केवलारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 23-2-11 से प्रकरण क्रमांक 15 अ-6/11-12 पॅजीबद्ध किया तथा उत्तरवादीगण को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। अनुविभागीय अधिकारी केवलारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी केवलारी ने ग्राम की सॅशोधित नामांत्रण पंजी के सरल क्रमांक 46 पर हुये आदेश दिनॉक 14-9-1975 के विरूद्व अपील प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के लिये प्रकरण पंजीबद्व किया है जिसके विरूद्व यह निगऱानी प्रस्तुत हुई है। निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने उभय पक्ष के बीच चले व्यवहार वाद एंव व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्व जिला न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय से अपील क्रमांक 58-ए/2012 में हुये आदेश दिनांक 19-3-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर निगरानी में निर्णय देने की प्रार्थना की, जिस पर विचार करने पर स्थिति यह है कि उभय पक्ष के बीच माननीय व्यवहार न्यायालय में तथा व्यवहार न्यायालय के अपीलीय न्यायालय से वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में निर्णय हुये है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी व्यर्थ हो गई है। पक्षकार माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी व्यर्थ हो जाने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर